अधिवक्ता को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी .... कठूमर जिला अलवर

नं. 2/3/2021

तारीख रजू............

सोनपाल बनाम रमेश वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.02.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 429,वाके ग्राम सालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.04.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दियां जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.04.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/4/21	पत्रावली वेरीफैन सम0/P.O. वाइज Covid ...... पत्रावली दिनांक 18/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/11/2	पत्रावली PJKS कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान........ .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 11/1/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/9/22	[illegible] उपस्थित। वकुलाम स्थगित आदेश दिनांक 2/8/22 की पालना में पक्ष की ओर से शेष की तलबी रजिस्टर्ड AD दिनांक 10/10/22 को पेश हो [signature] न्यायिक अधिकारी [illegible]	
10/10/22	[illegible] उपस्थित। वकुलाम स्थगित आदेश दिनांक 2/8/22 की पालना में पक्ष की ओर से शेष की तलबी रजि०AD दिनांक 10/11/22 को पेश हो अधिक मौका [signature] न्यायिक अधिकारी [illegible]	
10/11/22	[illegible] उपस्थित। वकुलाम स्थगित आदेश दिनांक की पालना में पक्ष की ओर से शेष की तलबी दिनांक 2/12/22 को पेश हो प्रार्थना पत्र आदि [illegible] 2-3 जाब की पेश [signature] न्यायिक अधिकारी [illegible]	
2/12/22	बुबाव कोरोकेन एच०/P.O साहब अवकाश पे [illegible] पत्रावली दिनांक 10/2/23 को पेश हो। [signature]	
10/2/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित वकील प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक तलबी हेतु कोई तलवाना पेश नहीं किया गया। वकील प्रार्थी को तलवाना बाबत पूर्व में कई बार मौके/अवसर मे हिदायत प्रदान किये गये। बावजूद मौके/अवसर/हिदायत के शेष अप्रार्थीगण कि ~~[illegible]~~ तलबी हेतु तल वाना पेश नही किया गया। अतः प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थीगण/प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
	पत्र O 9 R 2-5 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 42 RTAC तलवाना के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	